

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र.

निग - 2911 - I - 16

लोकेन्द्र सिंह दांगी पुत्र श्री रघुवीर सिंह
दांगी उम्र 26 साल छाँटा छोती निवासी
गाव वेदनछोडी तह. गंजवासोदा जिला
विदिशा म.प्र. --- आवेदक

बनाम

दिनांक 29.8.16 को
श्री रामसेवक झा
कागिठ झा उमरुता


~~बका~~
29.8.16
50

मो. प्र. अ. 100
29.8.2016

1. श्रीमती कामिनी गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता
पुत्री विजय कुमार गुप्ता निवासी वासोदा
तहसील वासोदा जिला विदिशा म.प्र.
2. शत्रुघन सिंह चौहान --- ~~आवेदक~~
तहसीलदार वासोदा हाल निवाधन ~~वासोदा~~
शाखा विदिशा जिला विदिशा म.प्र.
3. न यव तहसीलदार श्री तदलीप कुमार जडिया
तहसील वासोदा
4. राजस्व निरीक्षक श्री जीवन लाल जैन
5. मौजा पटवारी श्रीमती वषा रघुवंशी पटवारी
दफ्ता नम्बर 43 आवेदक क्र. 3, 4, 5
जरिये तहसीलदार ~~वासोदा~~ वासोदा
तहसील वासोदा जिला विदिशा म.प्र.

--- आवेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 8, 32, 50 म. प्र. भू रा.स. 1959
व अवमानना अधिनियम 1971 धारा 10 व 12 विरुद्ध आदेश
दिनांक 3.8.16 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार वासोदा


 लोकेन्द्र सिंह जिला विदिशा प्र. क्र. 12 / अ 70 / 15-16
श्रीमान जी,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2911-एक/16

जिला - विदिशा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभियन्तों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 19-12-18 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> | |